74

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष एम.के. सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1074/III/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 28.01.2014 पारित द्वारा आयुक्त, सागर संभाग, सागर प्रकरण क्रमांक 143/अ–6/2011–12 अपील

रमेशचन्द्र पुत्र श्री हीरालाल जैन,
निवासी–डोडाघाट, जैन मंदिर के पास,
ललितपुर, जिला ललितपुर (उ.प्र.)

-- आवेदक

विरूद्ध

1– रामप्रताप पुत्र श्री रामगोपाल नामदेव,
2– रविन्द्रमोहन पुत्र श्री रामगोपाल नामदेव,
निवासीगण– ओरछा, तहसील निवाडी,
टीकमगढ (म.प्र.)

-- अनावेदकगण

श्री आर.एस. सेंगर, अभिभाषक आवेदक

श्री डी.के. पासी, अभिभाषक अनावेदक क्र.1

सूचना उपरान्त अनुपस्थित अनावेदक क्र.2

!! आदेश !!

(आज दिनांक ..4../10/2016)

यह निगरानी आवेदक आयुक्त, सागर संभाग, सागर के प्रकरण क्रमांक 143/अ–6/2010–11 अपील में पारित आदेश दिनांक 28.01.2014 के

विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक द्वारा दिनांक 01.05.1999 को एक आवेदन पत्र नायब तहसीलदार, ओरछा को प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह कहा गया कि ओरछा स्थित भूमि खसरा क्रमांक 557/1/2 रकवा 1.214 हैक्टेयर का वह भूमिस्वामी है, जिसकी तरमीम की जाए। नायब तहसीलदार, ओरछा द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 18अ/6 वर्ष 1998–99 पंजीबद्ध कर दिनांक 25.10.1999 को निर्णय पारित किया गया और राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर तरमीम स्वीकृत की गयी। नायब तहसीलदार, ओरछा के इस निर्णय के विरूद्ध रामप्रताप नामदेव बगैरह की ओर से अनुविभागीय अधिकारी, निवाड़ी द्वारा अपील 23 वर्ष 2001–02 प्रस्तुत की गयी, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी, निवाड़ी द्वारा दिनांक 30.09.2010 को निर्णय पारित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी, निवाड़ी द्वारा प्रकरण में नायब तहसीलदार, ओरछा का आदेश दिनांक 25.10.1999 निरस्त कर प्रकरण में उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर देकर सरहदी कृषकों को मौका पर उपस्थित रहने की विधिवत सूचना देकर प्रकरण को निराकृत करने के लिए प्रत्यावर्तित करने का आदेश पारित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी, निवाड़ी के आदेश के विरूद्ध आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी है। जो पारित आदेश दिनांक 20.01.2014 को निरस्त की गयी तत्पश्चात् इस न्यायालय के समक्ष यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

3– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओ पर उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

4– आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 24/अ–19/1972–73 में पारित आदेश दिनांक 22.04.1973 द्वारा नाथूराम पुत्र हरपे काछी को दिया गया था। नाथूराम का नाम वर्ष

1976–77 तक अभिलेख में दर्ज रहा, उसके बाद उसका नाम विलोपित किया गया, परन्तु किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा पट्टा निरस्त नहीं किया गया था तत्पश्चात नायब तहसीलदार, ओरछा द्वारा दिनांक 25.09.1996 को नाथूराम पुत्र हरपे को भूमिस्वामी घोषित किया गया। भूमिस्वामी दर्ज होने के पश्चात नाथूराम काछी द्वारा पंजीकृत विक्रय से भूमि आवेदक रमेशचन्द्र को विक्रय कर कब्जा सौंप दिया था और आवेदक का विधिवत नामान्तरण कराया गया था। अनावेदकगण द्वारा नायब तहसीलदार, ओरछा द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, निवाड़ी के समक्ष अपील प्रस्तुत की है, जो आदेश दिनांक 01.08.2002 से निरस्त की गयी। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा अतिरिक्त कमिश्नर, सागर संभाग, सागर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी, जो आदेश दिनांक 24.10.2005 से निरस्त की गयी, इसके पश्चात् उनके द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी क्रमांक 86/दो/2006 पेश की गयी थी, जो आदेश दिनांक 19.08.2014 से निरस्त कर दी गयी है। उक्त आदेश की प्रति प्रस्तुत की है। ऐसी स्थिति में अपीलीय न्यायालयों के आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

आवेदक की ओर से उनके अभिभाषक द्वारा तर्क में बताया गया कि रामशरण द्वारा एक आवेदन पत्र धारा 165(7)ख एवं 182(2) म0प्र0 भू–राजस्व संहिता के अन्तर्गत कलेक्टर, टीकमगढ को प्रस्तुत किया गया था, जो प्रकरण क्रमांक 13बी/121/2002–03 पर दर्ज किया गया और आदेश दिनांक 20.02.2003 से यह निष्कर्ष दिया गया कि म0प्र0 भू–राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 1992 के प्रारम्भ होने पर या उसके पूर्व मंजूर किसी पट्टे को भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात 10 वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात धारा 158(3) म0प्र0 भू–राजस्व संहिता के अधीन विक्रय किये जाने की अनुमति लिये जाने की कानूनन आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में उनके द्वारा 1999 आर.एन. 363 का न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किया है। उपरोक्त तर्को के अलावा यह भी निवेदन किया गया कि राजस्व निरीक्षक ने जॉच रिपोर्ट प्राप्त

कर विधिवत प्रक्रिया का पालन करते हुए हुए तरमीम आदेश दिनांक 25.10.1999 पारित किया है, जिसे बिना किसी कारण के अनुविभागीय अधिकारी, निवाड़ी द्वारा निरस्त किया गया है और उक्त आदेश को स्थिर रखने में अधीनस्थ न्यायालय, आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा वैधानिक त्रुटि की है, इसलिए अपीलीय न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाये एवं विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 25.10.1999 स्थिर रखने का निवेदन किया गया।

5– अनावेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्कों में यह बताया कि अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी, निवाड़ी द्वारा जो आदेश दिनांक 30.09.2010 पारित किया गया है, वह अपने स्थान पर विधिवत एवं सही है क्योंकि विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार, ओरछा द्वारा अनावेदकगण को प्रकरण में पक्षकार बनाये बिना नक्शा तरमीम का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, जो अपने आप में अपूर्ण था क्योंकि सरहदी कास्तकारों एवं हितबद्ध पक्षकारों को पक्षकार नहीं बनाया गया था और राजस्व निरीक्षक के एकपक्षीय प्रतिवेदन के आधार पर आदेश पारित किया था, जिसमें उन्होंने मौके पर जाने से पूर्व वादग्रस्त भूमि के किसी भी सरहदी कृषक को सूचना नहीं दी थी और ना ही सरहदी कृषकों को पक्षकार ही बनाया गया था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ विचारण न्यायालय को आदेश त्रुटिपूर्ण था, जिसे अपीलीय न्यायालय द्वारा निरस्त कर प्रकरण उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर देकर तरमीम प्रस्ताव प्राप्त करने के पूर्व उभयपक्षों व सरहदी कृषकों को मौके पर उपस्थित रहने की सूचना देकर तथा पक्षकारों की उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए विधि–सम्मत आदेश पारित करने के निर्देश दिये है, जिसमें आवेदक को सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य का प्रर्याप्त अवसर प्राप्त होगा। ऐसी स्थिति में वर्तमान निगरानी प्रस्तुत किये जाने से प्रकरण में बिलम्ब होना सुनिश्चित है इसलिए भी वर्तमान निगरानी बलहीन एवं सारहीन होने से निरस्त की जाये

तथा अनुविभागीय अधिकारी, निवाड़ी का आदेश स्थिर रखे जाने निवेदन किया गया।

6– उभयपक्ष के अभिभाषकों के किये तर्को एवं अधीनस्थ न्यायालयों की आदेश पत्रिकाओं के विधिवत अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय के समक्ष जो आवेदन पत्र आवेदक द्वारा ग्राम ओरछा में स्थित भूमि खसरा क्रमांक 557/1/2 रकवा 1.214 हैक्टेयर नक्शा में तरमीम करने के लिए प्रस्तुत किया है, जिसमें सरहदी कास्तकार एवं हितबद्ध पक्षकारों को पक्षकार भी नहीं बनाया गया। ऐसी स्थिति में आवेदन पत्र स्वतः ही अपूर्ण है और ऐसे अपूर्ण आवेदन पत्र पर विचारण न्यायालय द्वारा राजस्व निरीक्षक से एकपक्षीय प्रतिवेदन प्राप्त कर मौके पर जाने से पूर्व वादग्रस्त भूमि के किसी भी सरहदी कृषक को कोई सूचना नहीं दी गयी और ना ही हितबद्ध पक्षकार अनावेदकगण को पक्षकार ही बनाया गया। ऐसी स्थिति में जो आदेश अनुविभागीय अधिकारी, निवाड़ी द्वारा पारित किया है कि प्रकरण तहसीलदार ओरछा को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर देकर तरमीम प्रस्ताव प्राप्त करने के पूर्व उभयपक्षों एवं सरहदी कृषकों को मौके पर उपस्थित रहने की सूचना देकर तथा पक्षकारों की उपस्थिति निश्चित करते हुए विधि–सम्मत आदेश पारित किया है जहाँ तक आवेदक का यह निवेदन कि इस न्यायालय द्वारा पूर्व में आदेश पारित किया है, जिस पर मेरे द्वारा विचार करने के पश्चात पाता हूं कि आवेदक को तहसील न्यायालय के समक्ष सुनवाई एवं साक्ष्य का विधिवत अवसर प्राप्त है। ऐसी स्थिति में वह अपनी साक्ष्य एवं दस्तावेज तहसील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, जिसके आधार पर तहसीलदार न्यायालय उक्त प्रकरण का यथाशीघ्र निराकरण करें। उपरोक्त स्थिति के कारण अधीनस्थ न्यायालय आयुक्त, सागर संभाग, सागर के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है।

7– उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी बलहीन एवं सारहीन होने से निरस्त की जाती है एवं अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.01.2014 स्थिर रखा जाता है।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेथ
ग्वालियर